भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1120

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 दिसम्बर, 2025/14 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी उर्वरकों का स्टॉक

1120. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2024-25 के रबी सीजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर फॉस्फेटिक उर्वरकों (विशेषकर डीएपी) की आपूर्ति और आयात एवं बफर स्टॉक की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) 2024-25 के रबी सीजन के लिए राजस्थान को आवंटित डीएपी और यूरिया की मात्रा कितनी है और नवंबर 2025 की तिथि के अनुसार राज्य में उपलब्ध स्टॉक की स्थिति क्या है;
(ग) राज्य/जिला स्तर पर बुवाई के पीक सीजन के दौरान उर्वरकों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वितरण की निगरानी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और
(घ) राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के लिए वर्तमान सीजन हेतु आवंटन और वास्तविक वितरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): चल रहे रबी मौसम 2024-25 के दौरान देश में फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों नामत: डीएपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही है। रबी मौसम 2024-25 के दौरान देश में डीएपी और एनपीकेएस की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और शेष स्टॉक संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

रबी मौसम 2024-25 में अखिल भारत स्तर पर उर्वरकों की स्थिति (आंकड़े एलएमटी में)				
क्र.सं.	**उत्पाद**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**
1	डीएपी	52.05	59.18	50.17
2	एनपीकेएस	77.10	107.72	74.26

इसके अलावा, 01.04.2025 से 31.10.2025 तक डीएपी और एनपीकेएस का आयात (कंपनियों द्वारा दी गई सूचनानुसार) क्रमशः 47.09 एलएमटी और 23.12 एलएमटी है, जबकि 01.12.2025 तक देश में डीएपी और एनपीकेएस का शेष स्टॉक क्रमशः 17.37 एलएमटी और 35.54 एलएमटी है।

(ख): रबी मौसम 2024-25 के दौरान राजस्थान राज्य में यूरिया और डीएपी की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और शेष स्टॉक संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

रबी 2024-25 में उर्वरकों की स्थिति

(आंकड़े एलएमटी में)

क्र.सं.	**उत्पाद**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**बिक्री**	**शेष स्टॉक**
1	यूरिया	15.00	18.85	15.82	3.03
2	डीएपी	3.00	3.52	3.33	0.20

इसके अलावा, नवंबर 2025 तक राजस्थान में यूरिया और डीएपी का शेष स्टॉक (राज्य द्वारा दिनांक 01.11.2025 को दी गई सूचनानुसार) क्रमशः 2.71 एलएमटी और 0.70 एलएमटी था।

(ग): राजस्थान राज्य सहित देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाए किए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम का प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरकों के प्रेषण हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

(vi) **राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।**

इसके अलावा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरकों को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारों को कालाबाजारी/जमाखोरी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं। उर्वरकों की कालाबाजारी/जमाखोरी के बारे में उर्वरक विभाग के स्तर पर मिली कोई भी शिकायत संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए भेजी जाती है। तदनुसार, राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त सूचनानुसार, दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 28.11.2025 तक की अवधि में कालाबाजारी, जमाखोरी और ऐसे अन्य कदाचारों के खिलाफ उनके द्वारा किए गए प्रवर्तन उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 28.11.2025 तक प्रवर्तन आंकड़े			
राजस्थान	**जारी किए गए कारण बताओ नोटिस**	**रद्द/निलंबित किए गए अनुज्ञप्तियों की सं.**	**दर्ज एफआईआर**
कालाबाजारी	589	76	46
जमाखोरी	45	17	30
घटिया गुणवता वाले उर्वरक	451	1	2
विपथन	15	16	25

(घ): राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त सूचनानुसार, 01.10.2025 से 30.11.2025 की अवधि के दौरान टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में यूरिया और डीएपी की आवश्यकता, वास्तविक आपूर्ति और उपलब्धता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

टोंक में उर्वरकों की स्थिति					**(आंकड़े एमटी में)**
क्र.सं.	**उत्पाद**	**आवंटन**	**01.10.2025 तक आरंभिक स्टॉक**	**आपूर्ति**	**कुल उपलब्धता**
1	यूरिया	26,000	11,979	23,745	35,724
2	डीएपी	5,500	1,303	5,928	7,231

सवाई माधोपुर में उर्वरकों की स्थिति					**(आंकड़े एमटी में)**
क्र.सं.	**उत्पाद**	**आवंटन**	**01.10.2025 तक आरंभिक स्टॉक**	**आपूर्ति**	**कुल उपलब्धता**
1	यूरिया	28,100	18,337	23,620	41,952
2	डीएपी	7,500	2,453	7,268	9,721

****